न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 77/2017 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. हरिराम,
2. ज्ञानचन्द पुत्रान रामस्वरूप,
3. शेरसिंह पुत्र रामस्वरूप,
4. चन्द्रभान,
5. विरेन्द्र,
6. बलजीत पुत्रान रूपचन्द,
7. पृथ्वी सिंह पुत्र सम्पत,
8. ताराचन्द पुत्र भूपसिंह,
9. रामपाल पुत्र भूपसिंह जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।
10. परमानन्द पुत्र शिम्भू,
11. मायादेवी पत्नी दयाराम,
12. गुगनराम पुत्र दयाराम,
13. मुनेश पुत्री दयाराम,
14. बिमला देवी पत्नी रामपाल,
15. ललीता देवी पत्नी लीलूराम,
16. नीरज पुत्र लीलूराम, उम्र 11 साल,
17. धीरज पुत्र लीलूराम नाबालिग जरिये सरपरस्त माता ललीता देवी पत्नी लीलूराम जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम मखानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।

.... अपीलांटान

बनाम

1. भीमसिंह,
2. देशराज,
3. सुरेन्द्र पुत्रान शीशराम,
4. लालसिंह,
5. चन्द्रहास पुत्रान शीशराम,
6. कला देवी पत्नी शीशराम जाति अहीरान निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील [illegible], अलवर

Scanned by CamScanner

7. सत्यपाल पुत्र रामरतन,
8. श्री भगवान पुत्र रामकिशोर,
9. नत्थूराम,
10. धर्मसिंह पुत्रान छाजू,
11. इन्द्रसिंह,
12. जसराम,
13. जयनारायण पुत्रान सम्पत,
14. मूर्ति पुत्री सम्पत,
15. भोमसिंह,
16. सूरतसिंह पुत्रान सम्पत,
17. मुकेश पुत्री रामजीलाल,
18. छोटूराम पुत्र हर सहाय,
19. सविता पत्नी रामोतार,
20. राजकुमार,
21. देवेन्द्र पुत्रान किरोड़ी,
22. सुशीला पुत्री किरोड़ी,
23. सुनीता पुत्री किरोड़ी, समस्त जातियान अहीरान निवासीयान ग्राम सीथल तहसील तिजारा जिला अलवर ।
24. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा ढाबा कॉम्प्लेक्श शाखा भिवाड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक भिवाड़ी,
25. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा यू.आई.टी. भिवाड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक भिवाड़ी, तहसील तिजारा जिला अलवर,
26. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा टपूकड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर ।
27. पंजाब नेशनल बैंक शाखा मिलकपुर गुर्जर जरिये शाखा प्रबन्धक मिलकपुर गुर्जर तहसील तिजारा ।
30. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

..... तरतीबी रेस्पोडेन्टान

..... असल रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश कुमार यादव अभिभाषक कैवियटर असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.05.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व प्रारम्भिक डिकी दिनांक 3.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि दावा हाजा में अंकित विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर शामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण विवादित आराजीयात पर अपने जमाबन्दी मुताबिक हिस्से पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि शामलात में ही काबिज काश्त हैं तथा अबट आराजीयात है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी बाबत आज तक किसी प्रकार का तकासमा नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के शामलाती हिस्से के कब्जा काश्त में मजाहमत करते हैं एवं विवादित आराजीयात को दीगर लोगों को बेचान करने व निर्माण कार्य करने की धमकी देते हैं । इसलिए विवादित आराजीयात का विभाजन करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 8.5.2017 को हर दो वादों में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर वादों की आराजी के खातों का उभयपक्ष के मध्य विभाजन के लिए मीट एण्ड बाउण्ड्स पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि बंटवार स्कीम तैयार कर पेश करें जिस निर्णय दि0 8.5.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अपीलांट के द्धारा प्रस्तुत जवाब व सी.पी.सी. के प्रावधानों आदेश 20 नियम 5 के तहत तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का तहत न्यायालय को विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन तहत न्यायालय ने कोई तनकी कायम नहीं की । तहत न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण/अपीलांटान ने जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वादीगण सं0 1 ल0 5 का विवादित आराजी ख0 नं0 349, 439, 440, 534, 643, 537, 644, 19, 22, 24, 646, 647, 746, 747, 748, 749 में कोई हिस्सा नहीं है । वादीगण उक्त खसरा नम्बरान के सह खातेदार नहीं है जिसकी बाबत वादीगण सं0 1 ल0 5 को वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । मौके पर विवादित आराजी का बंटवारा हो रहा है । वादी सं0 6 द्धारा विवादित आराजी के सह खातेदारान का कुछ हिस्सा खरीद किया हुआ है । आराजी का पूर्व में बंटवारा हो चुका है । अलग–अलग खातेदारान का अलग–अलग खाता नम्बर में नाम दर्ज हो चुका है । इस प्रकार वादीगण बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं है लेकिन तहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को बिना सुने ही कैम्प कोर्ट ग्राम थड़ा में बिना सूचना दिये ही प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी । इसके अलावा उक्त विवादित आराजी के संबंध में एक अन्य राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी तिजारा बउनवान भूरासिंह वगैरा बनाम आनन्द कुमार वगैरा जो एक तरफा में दि0 6.12.2013 को डिक्री किया गया था जिस दावा में वादनी असल रेस्पो0 पक्षकार थी जिस एक तरफा डिक्री को निरस्त कराये जाने के लिए प्रतिवादी सं0 12, 17, 22 ल0 27, 48, 49 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो तहत न्यायालय द्धारा दि0 5.2.2014 को स्वीकार किया जाकर निर्णय दि0 6.12.2013 को निरस्त कर दिया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

जिस निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील किये जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दि0 10.3.2014 के द्वारा आदेश दि0 5.2.2014 को निरस्त करते हुए निर्णय व डिक्री दि0 6.12.2013 को यथावत रखा गया साथ ही निर्देश दिये कि जिस पक्षकार को भी ऐतराजात हो वह अंतिम निर्णय के समय तहसीलदार से कुरेजात प्राप्त होने पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं जिस आदेश के खिलाफ अपीलांट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दि0 18.9.2015 को दि0 5.2.2014 का आदेश निरस्त कर दि0 6.12.2013 का निर्णय यथावत रखा गया जिस निर्णय दि0 18.9.2015 के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील किये जाने पर राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दि0 18.9.2015 निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी का आदेश दि0 5.12.2014 को यथावत रखा गया । इस प्रकार निर्णय दि0 6.12.2012 का कोई अस्तित्व नहीं रहा जो दावा दि0 3.6.2016 को प्रस्तुत किया गया वह गलत है तथा रेस्ज्यूडिकेटा में आने के कारण मैन्टेनेबल नहीं था । कैम्प कोर्ट द्वारा सभी पक्षकार अपीलांटान को कोई नोटिस जारी नहीं किया ना ही उन्हें सुना गया । कुछ पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया उनमें से जो उपस्थित हुए ने निवेदन किया कि जमाबन्दी के अनुसार जो रकबा पक्षकारों के हिस्से में आता है उस हिस्से पर मौके पर बंटवारा के अनुसार काबिज है उसके अनुसार ही कुरेजात तैयार कर खातेदारी दर्ज की जावें । तहत न्यायालय के द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के रहने से अपीलांट के हक हकूक जायल होते हैं क्योंकि मौके पर विवादित आराजी पक्षकारान द्वारा बांटी हुई है एवं अपने-अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं लेकिन असल रेस्पो0 उक्त डिक्री की आड़ में हम अपीलांट को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हैं । इसलिए तहत न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान अभिभाषक कैवियटर/ असल रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर शामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण/असल रेस्पो0 विवादित आराजीयात पर अपने जमाबन्दी मुताबिक हिस्से पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं जो कि शामलात में ही काबिज काश्त हैं तथा अबट आराजीयात है । पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी बाबत आज तक किसी प्रकार का तकासमा नहीं हुआ है । इसलिए तहत न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, वह सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । यह प्रकरण प्रारम्भिक डिक्री का है । चूंकि प्रकरण लोक अदालत की भावना से किया गया है तथा प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है किन्तु कुरेजात रिपोर्ट आने से पूर्व अपील किये जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने इन्द्राज के सन्दर्भ में शंकित है । अपील का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही होना है । इसलिए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... अलवर

Scanned by CamScanner

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय दिनांक 8.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा मौके व कब्जे के अनुसार कुरेजात कायमी की प्रार्थना की गई है । इसलिए तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में तकासमा स्कीम जारी करते हुए अपील का निस्तारण करें । तत्पश्चात् अंतिम डिक्री पारित की जावें । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner